


NAGAR NIGAM BHILAI


NIT

Name of work: - Repairing of Hand Pump with Material at Zone 01

S.NO	PARTICULAR	QTY	UNIT	AS PER ITEM RATE	
				RATE	AMOUNT
1	Replacement of old Handpump and Providing and placing in position India Mark II hand pump with 32 mm diameter riser pipe assembly complete with all accessories (riser pipe and plunger rod to be paid separately).	13	Each		
2	Construction of PCC plateform as per describe drawing & design with all required materials pertaining to it.	13	Each		
	<i>Providing & fixing of Hand Pump Material. Of ISI Mark Branded Company</i>				
3	जी.आई. पाईप 32 एम.एम.	1150	Mtr.		
4	हैण्ड पंप राड (कनेक्टींग रॉड 10फिट)	170	Nos.		
5	सिलैण्डर सेट	170	Nos.		
6	पाईन्ट सेट (अपर वाल्व असेम्बली)	150	Nos.		
7	लोवर सेट (लोवर वाल्व असेम्बली)	150	Nos.		
8	बेयरिंग	180	Nos.		
9	चैन	180	Nos.		
10	हैण्ड पंप स्टैंड	30	Nos.		
11	माउथ	50	Nos.		
12	कन्वर्शन हेड	40	Nos.		
13	हेण्डल सेट	40	Nos.		
14	एक्सल	250	Nos.		
15	लेदर ब्रकेट	800	Nos.		
16	राड सॉकेट	450	Nos.		
17	नटबोल्ट (2')	70.00	kg		
18	जी.आई. निप्पल (32mm)	70	Nos.		
19	जी.आई. रेड्यूसर (32mm)	70	Nos.		
20	जी.आई. सॉकेट (32mm)	70	Nos.		
21	<i>Repairing of Hand Pump only above ground level</i>	500	Nos.		
22	<i>Repairing of Hand Pump below ground level including top maintance work complete.</i>	1200	Nos.		
23	<i>Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).</i>	5	Cum		


कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई


सहायक अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई



उप अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई





कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
जोन क्रमांक 01 अंतर्गत हैण्डपंप संधारण कार्य सामग्री सहित
// नियम एवं शर्तें //


1. हैण्ड पंपों के संधारण कार्य हेतु समस्त सामग्री एजेंसी के द्वारा स्वयं के व्यय से लगाई जावेगी। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।
2. निगम के अधिकारियों/संबंधित कर्मचारियों द्वारा हैण्ड पंप संधारण के संबंध में समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. सभी हैण्ड पंपों के संधारण कार्य की संधारण पंजी संधारित करना होगा। प्रभारी उपअभियंता से सत्यापित करना होगा एवं प्रभारी उपअभियंता से पृष्टि एवं सहायक अभियंता से सत्यापित करना होगा एवं पंजी देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. कार्य की अवधि 1 वर्ष की होगी, आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी, जिसकी नियम शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगी।
5. हैण्ड पंप खराब होने की शिकायत पर संधारण 24 घंटे के समय अवधि में करना अनिवार्य होगा। शिकायत पंजी, निदान 1100, ऑनलाईन या अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संधारण कर कार्यालय को सूचित करना होगा। इस हेतु पंजी का संधारण अनिवार्य होगा जिसमें विस्तृत विवरण हो। ऑनलाईन एवं निदान 1100 को प्रथम प्राथमिकता रहेगी। किसी भी संधारण कार्य के विलंब में रु. 1000.00 प्रति कार्य/प्रति दिवस दंड स्वरूप अधिरोपित की जावेगी।
6. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा। शासन के समस्त करों का भुगतान एजेंसी को करना होगा।
7. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा। जी.एस. टी. का भुगतान शासन के नियमानुसार किये जाने एजेंसी बाध्य होगी।
8. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी एवं नियम शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगी।
9. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
10. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

12. प्रत्येक संधारण कार्य का स्पष्ट फोटोग्राफ्स गूगल लोकेशन टाइम स्टैम्प सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. जोन के अंतर्गत शिकायत संख्या 05 से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त संधारण गैंग उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
14. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत की राशि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा।
15. संधारण के दौरान एसेम्बली या अन्य सामग्री बोरवेल में गिर जाने पर अनुबंधित एजेंसी द्वारा उसे निकालकर संधारण करना होगा जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. किसी कारण से निर्धारित समय अवधि में कार्य किया जाना संभव नहीं है उस स्थिति में उक्ताशय का प्रमाण पत्र जोन के कार्यपालन अभियंता से देयक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
17. किसी भी प्रकार की त्रुटि का निराकरण एवं संधारण कार्य में 07 दिवस से अधिक विलंब अथवा नियम शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।


जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई


सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई


उप अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई